

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE  
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक /2017

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Name and address of the complainant म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना 25 जिला

प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. भूरे श्री रामचन्द्र सिंह
2. गोविंद श्री रामचन्द्र सिंह
3. लखन श्री गोविंद सिंह
4. कामरेश्वर श्री लखन सिंह
5. रामचन्द्र श्री गोविंद सिंह
6. लखन श्री रामचन्द्र सिंह
7. श्री श्री रामचन्द्र सिंह

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 22.12.17 को 17.10 बजे से 17.10 बजे के मध्य स्थान गोहद, जिला-भिण्ड में ताश के पत्तों से रुपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक- स्वीकार है

रामचन्द्र सिंह  
गोहद  
भारत  
Poulav

रामचन्द्र सिंह  
गोहद  
भारत  
पंकज शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed



**// निर्णय //**

(आज दिनांक 12.1.18 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 13 सार्वजनिक धूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 1-1 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा 725/- रुपये राजसात किये जाते हैं अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो। जब की मझी करके

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 12.1.18

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

12/1/18

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

12/1/18

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)